बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

<u>सूचना</u>

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा), बिहार, पटना के अंतर्गत न्यायिक वादों में तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु अनुभवी अधिवक्ताओं/सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों/सेवानिवृत्त प्रशासनिक पदाधिकारियों का एक पैनल तैयार किया जाना है। उक्त मामलों के जानकार इच्छुक अधिवक्ता/सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारी/सेवानिवृत्त प्रशासनिक पदाधिकारी अपने पूर्ण बायोडाटा/अर्हता/दूरभाष/मोबाईल संख्या सहित अपनी अभिरूचि देते हुए आवेदन–पत्र दिनांक–25.09.2017 तक महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना को समर्पित कर सकते हैं। पैनल का निर्माण विभाग द्वारा अभ्यर्थियों के साक्षात्कार, उनका अनुभव एवं तथ्य विवरणी तैयार करने की गुणवत्ता के आधार पर किया जाएगा। तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु वित्त विभाग के संकल्प संख्या–7248 दिनांक–04.08.2011 द्वारा निर्धारित दर पर पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा जिसके अनुसार प्रत्येक तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु अधिकतम छः सौ रूपये तथा प्रारूप की अंग्रेजी प्रति टंकित करने हेतु अधिकतम एक सौ पचास रूपये देय होंगे। चयनित अधिवक्ता/सेवानिवृत्त पदाधिकारी को प्रतिदिन विभाग में बैठकर तथ्य विवरणी तैयार करनी होगी। चयनित अधिवक्ता/सेवानिवृत्त पदाधिकारी का कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर उनका नाम संबंधित पैनल से हटाने हेतु महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना सक्षम होंगे।

किसी भी आवेदन को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा), बिहार, पटना को होगा।

(राजीव वर्मा)
संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्रशासन)
बिहार, पटना।

निम्नलिखित समाचार पत्रों में दिनांक–11.09.2017 को प्रकाशन हेतु ज्ञापांक–6601 दिनांक–10.09.2017 द्वारा निर्गमादेश।

HINDUSTAN, ALL BIHAR
DAINIK BHASKAR, PATNA
R SAHARA, PATNA